भाग – क

राजस्व क्षेत्र

अध्याय I

सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों की स्थिति **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व[1]	44,371.66	50,605.41	57,380.34	59,244.98	60,283.44
	• कर-भिन्न राजस्व[2]	11,615.57	15,733.72	18,603.01	15,714.16	13,653.02
	योग	**55,987.23**	**66,339.13**	**75,983.35**	**74,959.14**	**73,936.46**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग[3]	33,555.86	37,028.01	41,852.35	36,049.14	35,575.77
	• सहायतार्थ अनुदान[4]	19,482.91	23,940.04	20,037.32	29,105.53	24,795.65
	योग	**53,038.77**	**60,968.05**	**61,889.67**	**65,154.67**	**60,371.42**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	1,09,026.00	1,27,307.18	1,37,873.02	1,40,113.81	**1,34,307.88**
4	**1 का 3 से प्रतिशत**	**51**	**52**	**55**	**53**	**55**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 73,936.46 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,34,307.88 करोड़) का 55 प्रतिशत रहा। वर्ष 2020-21 में शेष 45 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

---

1 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.2 देखें।

2 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.3 देखें।

3 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखों की विवरण संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद शीर्ष 0005-केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-वित्त लेखों में दर्ज राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा।

4 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 1601 देखें।

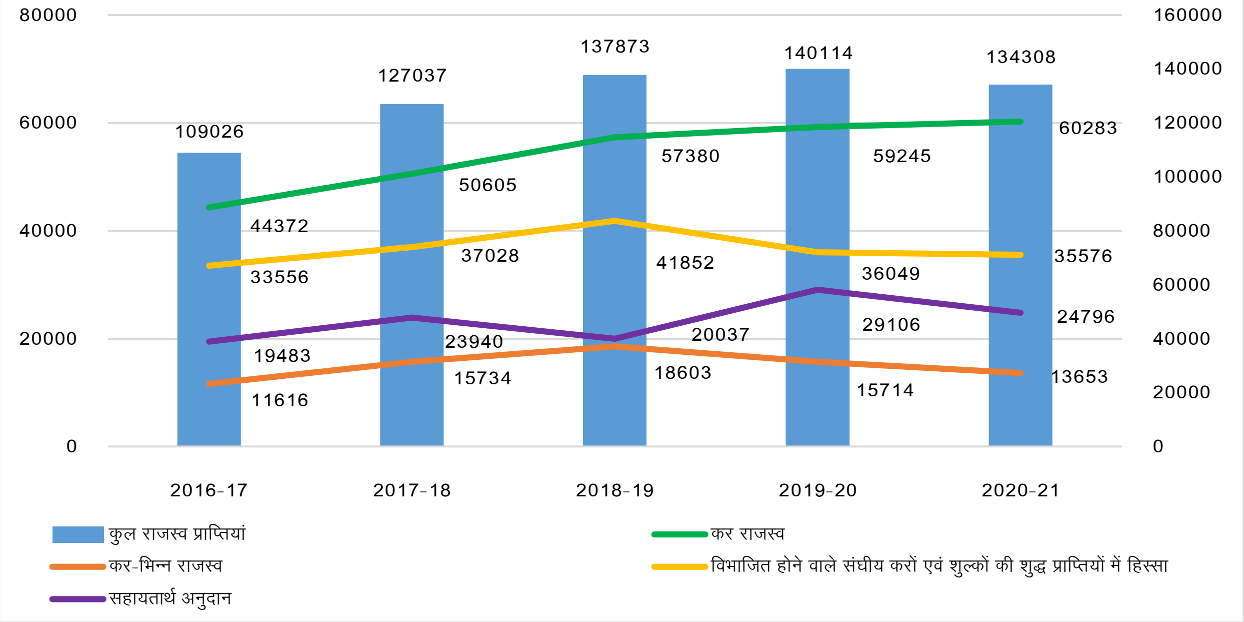

चार्ट 1: राजस्व प्राप्तियों के घटक (₹ करोड़ में)

1.1.2 अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान / वास्तविक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 में 2019-20 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	संशोधित अनुमान	27,767.60	18,800.00	15,900.00	19,262.16	18,820.07	
		वास्तविक	27,151.54	18,285.44	14,225.31	15,361.61	17,146.94	(+) 11.62
	केन्द्रीय बिक्री कर	संशोधित अनुमान	1,227.40	700.00	600.00	737.83	279.93	
		वास्तविक	1,406.88	722.80	565.65	481.15	332.09	(-) 30.98
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	संशोधित अनुमान	-	11,700.00	23,500.00	25,605.23	24,000.00	
		वास्तविक	-	12,137.02	22,938.33	21,954.17	20,754.87	(-) 5.46
3	आबकारी शुल्क	संशोधित अनुमान	7,600.00	7,800.00	9,300.00	10,500.00	11,500.00	
		वास्तविक	7,053.68	7,275.83	8,694.10	9,591.63	9,853.00	(+) 2.73
4	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
	मुद्रांक-न्यायिक	संशोधित अनुमान	103.34	92.58	104.07	84.79	47.00	
		वास्तविक	73.94	59.78	60.70	61.88	47.87	(-) 22.64
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	संशोधित अनुमान	2,701.00	3,346.15	4,035.94	4,615.82	4,836.11	
		वास्तविक	2,502.86	3,070.79	3,255.34	3,544.91	4,571.89	(+) 28.97
	पंजीयन शुल्क	संशोधित अनुमान	445.66	611.27	609.99	649.37	666.89	
		वास्तविक	476.45	544.21	569.99	627.94	677.51	(+) 7.89
5	मोटर वाहनों पर कर	संशोधित अनुमान	3,650.00	4,300.00	5,000.00	5,650.00	5,200.00	
		वास्तविक	3,622.83	4,362.97	4,576.45	4,950.98	4,368.17	(-) 11.77
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	2,172.00	3,500.00	2,339.50	2,804.01	2,800.00	
		वास्तविक	738.24	3,376.67	2,147.95	2,262.77	2,142.39	(-) 5.32

7	भू-राजस्व	संशोधित अनुमान	359.01	566.71	463.16	404.98	408.61	
		वास्तविक	314.69	363.86	289.94	364.49	279.32	(-) 23.37
8	माल एवं यात्रियों पर कर	संशोधित अनुमान	750.00	328.00	37.57	35.00	25.00	
		वास्तविक	803.28	340.78	50.79	41.12	45.18	(+) 9.87
9	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	200.00	62.00	28.38	24.03	1.20	
		वास्तविक	220.08	63.93	5.14	1.01	1.23	(+) 21.78
10	अन्य कर[5] इत्यादि	संशोधित अनुमान	10.00	10.00	10.00	1.00	300.00	
		वास्तविक	7.19	1.33	0.65	1.32	62.97	(+)4,670.45
	योग	संशोधित अनुमान	**46,986.01**	**51,816.71**	**61,928.61**	**70,374.22**	**68,884.81**	
		वास्तविक	**44,371.66**	**50,605.41**	**57,380.34**	**59,244.98**	**60,283.43**	**(+) 1.75**
	पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**3.88**	**14.05**	**13.39**	**3.25**	**1.75**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यद्यपि, विगत पांच वर्षों से कुल कर राजस्व में लगातार वृद्धि रही, किन्तु संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर संग्रहण प्रत्येक वर्ष कम रहा । कर राजस्व का वृद्धि प्रतिशत जो 2018-19 से कम हो रहा है, 2020-21 में और कम हो गया ।

संबंधित विभागों ने सूचित किया कि

- 'वाहनों पर करों' में कमी (11.77 प्रतिशत) फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण की वैधता अवधि का 30 जून 2021 तक विस्तार, राज्य कैरिज/अनुबंध कैरिज, अतिरिक्त वाहनों एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों पर कर में छूट और पिछले वर्ष की तुलना में वाहनों की बिक्री में कमी के कारण थी ।

- 'भू-राजस्व' (23.37 प्रतिशत) शीर्ष में कमी भूमि आवंटन और रूपांतरण मामलों में कमी के कारण थी ।

- पंजीकरण एवं मुद्रांक (25.09 प्रतिशत) में वृद्धि स्टाम्प ड्यूटी, डीएलसी दरों और गौ संवर्धन उपकर दर में बढ़ोतरी के कारण हुई थी ।

- केंद्रीय बिक्री कर (30.98 प्रतिशत) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (5.46 प्रतिशत) में राजस्व में कमी के कारण संबंधित विभाग से प्रतिक्षित थे (दिसम्बर 2021) ।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य का राजस्व एवं कर राजस्व का संयोजन **चार्ट 2** में दर्शाया गया है ।

5 अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर (पेशे, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर) एवं कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है ।

चार्ट 2: राज्य का राजस्व

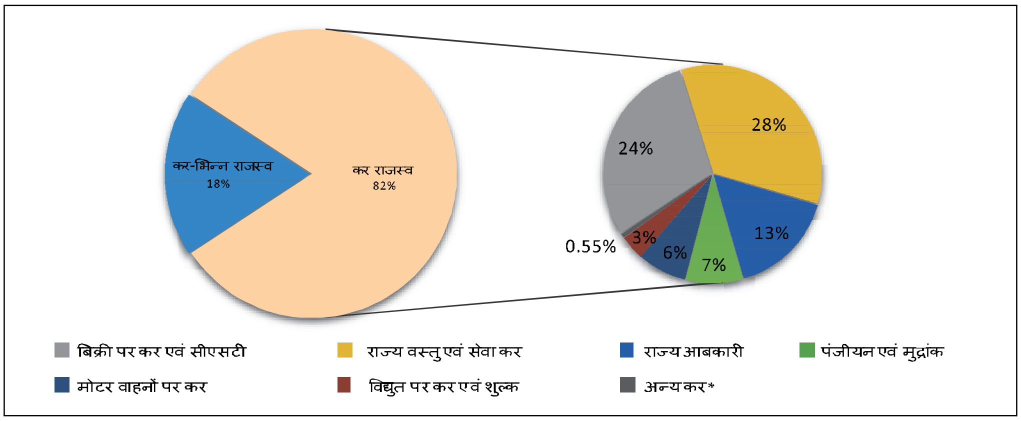

* अन्य कर राजस्वों में भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क एवं अन्य कर सम्मिलित है।

1.1.3 वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-भिन्न राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान वास्तविक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 में 2019-20 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	संशोधित अनुमान	4,200.00	4,900.00	6,000.00	6,600.00	5,800.00	
	वास्तविक	4,233.74	4,521.52	5,301.48	4,579.09	4,966.39	(+) 8.46
ब्याज प्राप्तियां	संशोधित अनुमान	2,002.97	4,924.14	5,810.44	4,039.38	2,701.94	
	वास्तविक	1,933.37	4,858.90	5,790.87	3,851.99	2,693.15	(-) 30.08
विविध सामान्य सेवायें	संशोधित अनुमान	859.39	888.31	1,171.34	1,150.93	1,343.89	
	वास्तविक	660.70	762.36	783.86	915.51	747.01	(-) 18.41
पुलिस	संशोधित अनुमान	220.15	333.73	360.95	428.51	350.15	
	वास्तविक	190.78	296.56	345.38	641.68	192.54	(-) 69.99
अन्य प्रशासनिक सेवायें	संशोधित अनुमान	222.35	228.41	258.82	264.87	229.00	
	वास्तविक	210.51	207.55	246.49	207.16	146.62	(-) 29.22
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	संशोधित अनुमान	129.79	90.30	115.26	127.26	273.83	
	वास्तविक	112.77	277.72	179.31	77.19	245.47	(+) 218.01
वानिकी एवं वन्य जीवन	संशोधित अनुमान	123.95	173.82	154.01	145.18	111.43	
	वास्तविक	113.00	182.26	147.45	109.47	73.67	(-) 32.70
सार्वजनिक निर्माण	संशोधित अनुमान	95.30	107.37	126.50	251.80	90.71	
	वास्तविक	84.31	109.26	125.92	91.91	92.98	(+) 1.16
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	संशोधित अनुमान	115.74	152.34	166.01	221.44	205.00	
	वास्तविक	125.39	130.67	163.59	238.16	227.09	(-) 4.65
सहकारिता	संशोधित अनुमान	41.25	47.75	29.02	35.51	20.01	
	वास्तविक	44.10	63.11	22.24	9.11	95.75	(+) 951.04

अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां [6]	संशोधित अनुमान	4,458.43	4,813.11	5,774.05	6,332.52	4,598.17	
	वास्तविक	3,906.90	4,323.81	5,496.42	4,992.89	4,172.35	(-) 16.43
योग	संशोधित अनुमान	**12,469.32**	**16,659.28**	**19,966.44**	**19,597.40**	**15,724.13**	
	वास्तविक	**11,615.57**	**15,733.72**	**18,603.01**	**15,714.16**	**13,653.02**	**(-) 13.12**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		6.29	35.45	18.23	(-) 15.53	(-) 13.12	

स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 में कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण संशोधित अनुमान से पूर्व वर्षों की तरह कम रहा एवं विगत वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में (13.12 प्रतिशत) कमी रही। संबंधित विभागों ने सूचित किया कि

- 'ब्याज प्राप्तियों' में कमी (30.08 प्रतिशत) उदय[7] के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को दिये गये ऋण के कारण थी।

- 'पुलिस' से राजस्व में कमी (69.99 प्रतिशत) रेलवे, भारत सरकार, एसबीआई और अन्य राज्यों में राज्य पुलिस की तैनाती पर राजस्व की कम प्राप्तियों के कारण थी।

- 'वानिकी और वन्य जीवन' (32.70 प्रतिशत) में कमी कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप थी।

इसके अतिरिक्त, 'अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग' शीर्ष (8.46 प्रतिशत) के अंतर्गत वृद्धि एमनेस्टी योजना के तहत राजस्व में बढ़ोतरी के कारण थी, 'सहकारिता' (951.04 प्रतिशत) के अंतर्गत वृद्धि अनुमानों से अधिक राशि की प्राप्ति के कारण थी और 'वृहद एवं मध्यम सिंचाई' (218.01 प्रतिशत) में वृद्धि औद्योगिक उपयोग हेतु पानी की दर में बढ़ोतरी के कारण थी।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2021 को राजस्व बकाया की राशि ₹ 20,577.89 करोड़ थी, इसमें से ₹ 4,125.75 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया हैः

6 अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं।

7 उज्जवल डिसकोम एश्योरेन्स योजना।

तालिका 1.4

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2021 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का प्रतिशत		31 मार्च 2021 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर*	21,874.45	18,225.98	(-) 16.68	3,358.61
2	परिवहन	64.14	59.39	(-) 10.55	35.28
3	भू-राजस्व[8]	200.65	186.16	(-) 7.22	89.82
4	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	2.79	2.73	(-) 2.15	1.54
5	पंजीयन एवं मुद्रांक	1,339.42	1,318.38	(-) 1.57	135.62
6	भूमिकर	238.08	300.66	(+) 26.29	232.93
7	राज्य आबकारी	201.58	208.07	(+) 3.22	194.45
8	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	321.45	276.52	(-) 13.97	77.50
	योग	**24,242.56**	**20,577.89**	**(-) 15.12**	**4,125.75**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

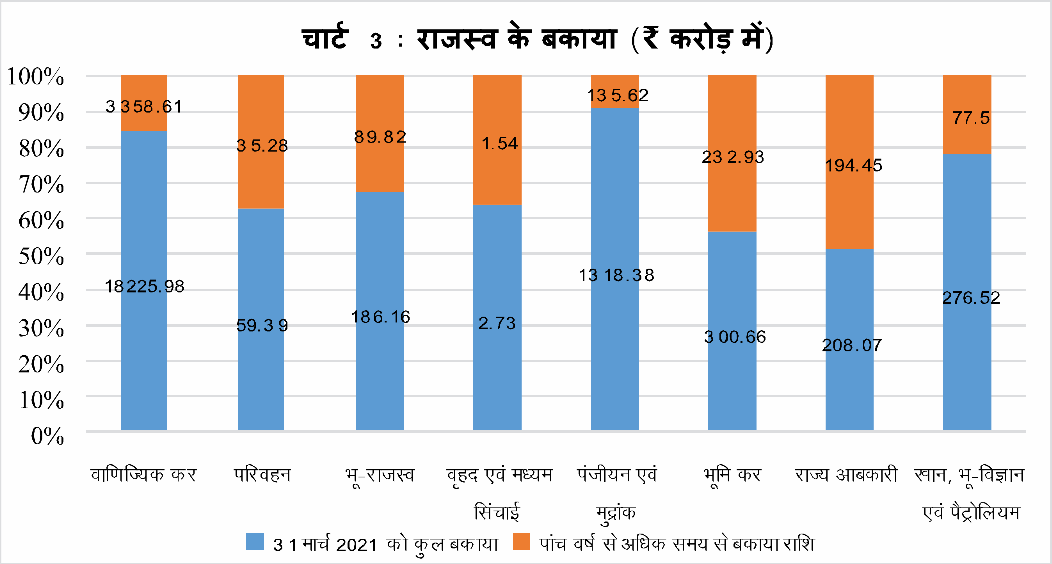

1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया हैः

8 *31 मार्च 2020 के अंत मे दिखाई गयी कुल बकाया राशि से दिनांक 1 अप्रैल 2020 को दिखाई गयी बकाया राशि मे अंतर था (भू-राजस्व ₹ 20.96 करोड़ और वाणिज्यिक कर विभाग ₹ 54.12 करोड़)। अन्तर के कारण विभागों द्वारा सूचित नहीं किये गये। (दिसम्बर 2021)

तालिका 1.5

विभाग का नाम		प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2020-21 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2020-21 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर		18	4,626	4,644	4,643	01	99.98
पंजीयन एवं मुद्रांक	पंजीयन एवं मुद्रांक	5,122	6,754	11,876	6,807	5,069	57.32
	भूमिकर	2,261	3,710	5,971	2,019	3,952	33.81
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम		8,799	10,609	19,408	9,107	10,301	46.92
परिवहन		1,537	19,963	21,500	20,264	1,236	94.25

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर एवं परिवहन विभाग ने अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। तथापि, तुलना में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रकरणों का निस्तारण काफी कम रहा। इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजी गयी कर अपवंचना

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान कर अपवंचना के 3059 मामले ध्यान में आये, जिसमें विभाग के प्रति-अपवंचना जोन[9] के तीन प्रति-अपवंचना वृत्तों के साथ-साथ राज्य के 13 जोन के 17 प्रति-अपवंचना वृत्त भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 2,870 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी की गई, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान पाए गए मामले शामिल थे। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 21,473.37 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹ 6,435.85 करोड़ की वसूली की। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में वर्ष 2020-21 के दौरान कर चोरी के 432 मामले ध्यान में आये, जिनमें से सभी का निर्धारण/जांच विभाग द्वारा की गई। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित ₹ 8.36 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹ 0.21 करोड़ की वसूली की। खान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम विभाग ने सूचित किया कि 2020-21 के दौरान कर अपवंचना के 15 मामले देखे गए, जिनमें निर्धारण/जांच पूरी हो गई। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित ₹ 0.18 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई जिसे विभाग द्वारा वसूल कर लिया गया था।

1.5 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

संबंधित विभागों की सूचना अनुसार वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय एवं वर्ष 2020-21 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या **तालिका 1.6** में दर्शायी गयी है।

9 वाणिज्यिक कर विभाग,राजस्थान सरकार के 14 जोन है। इसमें से,राजस्थान राज्य के पूरे क्षेत्र को आवृत करते हुए 13 जोन में बांटा गया है और प्रति-अपवंचना 14 वां जोन है। सम्पूर्ण राज्य आवृत करते हुए प्रति-अपवंचना जोन को 3 प्रति-अपवंचना वृत्त में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त, शेष 13 जोन में स्वयं के प्रति-अपवंचना वृत्त है जो भी कर अपवंचना के प्रकरणों का पता लगाते हैं।

तालिका 1.6

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	वाणिज्यिक कर		पंजीयन एवं मुद्रांक		परिवहन	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	1,290	130.52	987	9.94	554	2.57
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,600	1,006.52	1,698	8.90	629	3.29
3	(i) वर्ष के दौरान निपटाये गये प्रतिदाय प्रकरण	3,513	184.99	1,436	7.59	413	3.10
	(ii) अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या	1,614	839.56	23	0.30	28	0.19
4	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	763	112.12	1,226	10.95	742	2.57

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

खान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम विभाग ने प्रतिदाय के 'शून्य' बकाया प्रकरण सूचित किये।

विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए। यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हे संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। संसद द्वारा 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम (सीएजी डीपीसी अधिनियम) पारित किया गया। सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है, की उन सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करे एवं अपने आपको संतुष्ट कर लें कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है। भारत के सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन, 2007 जैसा कि वर्ष 2020 में संशोधित किया गया है एवं लेखापरीक्षा मानक 2017, प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के सिद्धान्तों को निर्धारित करते हैं।

1.7 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना का जोखिम विश्लेषण, जिसमें सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु यथा बजट उदघोषणा, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केंद्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, विगत

पांच वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, विगत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति एवं इसके प्रभाव सम्मिलित हैं, के आधार पर किया गया है । वर्ष 2020-21 में वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, एवं राज्य आबकारी विभाग में कुल 1,852 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थीं । उनमें से, वर्ष के दौरान 185 इकाईयों की योजना बनायी गयी एवं 172 इकाईयों की (3,488 मानवदिवस उपयोजित) लेखापरीक्षा की गयी जो कि कुल लेखापरीक्षित इकाइयों का 9.29 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा व्याप्ति में कमी का कारण कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन का लगना रहा। इस के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 'जीएसटी के अंतर्गत प्रतिदाय के दावों का प्रसंस्करण' एवं 'ट्रांजिशनल क्रेडिट' पर भी दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी (1,101 मानवदिवस उपयोजित)।

1.8 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं लेन-देनों की नमूना जांच के लिये महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष को एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है। उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले चार विभागों[10] के 1,799 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित राशि ₹ 1656.71 करोड़ के 5,308 अनुच्छेद सितम्बर 2021 के अन्त में बकाया थे। 30 जून 2021 के आंकड़ों को विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7

विवरण	जून 2019 (दिसम्बर 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	जून 2020 (दिसम्बर 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	जून 2021 (दिसम्बर 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	सितम्बर 2021 (मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)
निस्तारण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,720	1,701	1,707	1,799
बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	5,097	5,100	4,963	5,308
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,204.29	1,063.82	1,079.06	1,656.71

10 चार मुख्य राजस्व विभाग अर्थात वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

1.8.1 30 सितम्बर 2021 के अंत में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	499	1,806	327.90
2	भू-राजस्व	भू-राजस्व	107	549	295.97
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,045	2,557	744.08
4	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	148	396	288.76
योग			**1,799**	**5,308**	**1656.71**

तालिका से देखा जा सकता है कि लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन, सम्मिलित राशि सहित बकाया अनुच्छेद पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में अधिकतम है।

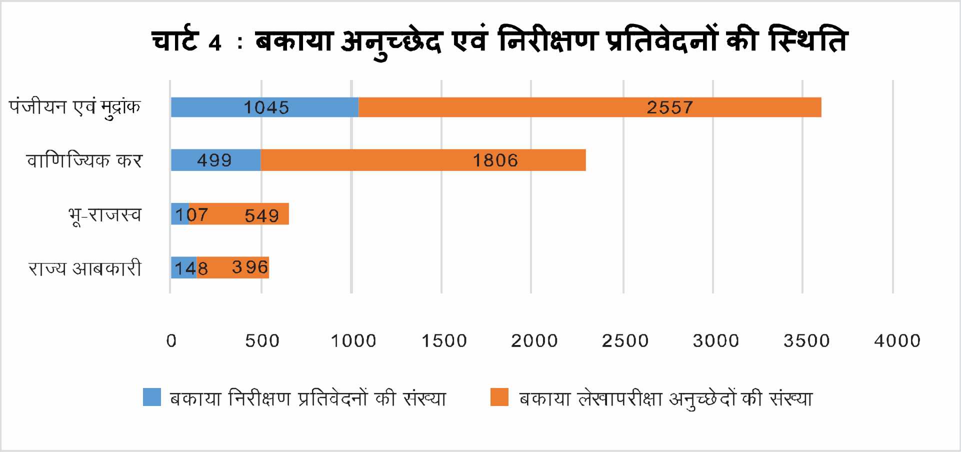

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[11] का गठन किया। वर्ष 2020-21 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.9** में उल्लेखित है:

11 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी किया गया है।

तालिका 1.9

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	वाणिज्यिक कर	1	3	134	44.96
2	भू-राजस्व	1	1	6	0.06
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	1	8	229	9.74
4	राज्य आबकारी	3	1	11	0.23
योग		**6**	**13**	**380**	**54.99**

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 54.99 करोड़ के 380 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया । भू-राजस्व और राज्य आबकारी विभागों को बकाया अनुच्छेदों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा समिति/उप-समिति की और अधिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है ।

1.8.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों[12] के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें ।

26 प्रारूप अनुच्छेद (प्रतिवेदन के 19 अनुच्छेदों में संकलित), सम्बंधित चार विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को मई और नवम्बर 2021 के मध्य प्रेषित किये गये थे । सम्बंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है ।

1.8.4 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगें । प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां (एटीईएन) जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए । इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थीं । राजस्थान सरकार के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 86 अनुच्छेद (निष्पादन

---

12 वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग ।

लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 28 मार्च 2017 से 14 सितम्बर 2021 के मध्य प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन अनुच्छेदों की एटीईएन की प्राप्ति में विलम्ब पांच से 81 दिवस के बीच था। तथापि,31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिये राज्य आबकारी विभाग का एटीईएन प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2021)। जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2015-16 से 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 41 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 37 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को पांच[13] प्रतिवेदनों (2020-21) में सम्मिलित किया गया।

1.9 पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये, पंजीयन एवं मुद्रांक के संबंध में विगत पांच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया। स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.9.1 से 1.9.2 में की गयी है।

1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10

(₹ करोड़ में)

वर्ष तक स्थिति	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अन्त में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2016-17	1,456	3,680	307.96	184	580	95.65	228	918	40.03	1,412	3,342	363.58
2017-18	1,412	3,342	363.58	205	727	51.92	188	649	21.58	1,429	3,420	393.92
2018-19	1,429	3,420	393.92	89	430	431.43	451	1,166	73.09	1,067	2,684	752.26
2019-20	1,067	2,684	752.26	97	508	39.65	106	416	34.20	1,058	2,776	757.71
2020-21 (मार्च 2021 तक जारी नि.प्र.)	1,058	2,776	757.71	63	258	19.78	76	477	33.41	1,045	2,557	744.08

वर्ष 2020-21 के दौरान, एक लेखापरीक्षा समिति एवं आठ लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन हुआ और 229 अनुच्छेदों का निस्तारण हुआ। बकाया नि.प्र. एवं अनुच्छेदों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार हेतु अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

13 पांच प्रतिवेदनः वाणिज्यक कर (1), भू - राजस्व (1), पंजीयन एवं मुद्रांक (1) एवं राज्य आबकारी (2) से सम्बंधित है।

1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों और स्वीकार किये गये प्रकरणों की वसूली की स्थिति

विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से संबंधित अनुच्छेद, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गए और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष 2020-21 के दौरान वसूल की गयी राशि	स्वीकार किये गये प्रकरणों में 31 मार्च 2021 तक वसूली की समेकित स्थिति
2015-16	10	141.70	10	141.70	-	7.57
2016-17	10	36.20	10	36.20	0.90	7.03
2017-18	1	88.52	1	88.52	2.40	21.43
2018-19	1	20.32	1	20.32	1.44	3.94
2019-20	8	11.38	8	11.38	0.65	0.65
योग	**30**	**298.12**	**30**	**298.12**	**5.39**	**40.62**

कुल आक्षेपित राशि ₹ 298.12 करोड़ के समक्ष विभाग द्वारा ₹ 298.12 करोड़ स्वीकार किये गये, जिसमे से विभाग द्वारा राशि ₹ 40.62 करोड़ वसूल की गयी। अनुच्छेदों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 13.63 प्रतिशत की वसूली की गयी।

यह अनुशंषा की जाती है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग *को शेष आक्षेपित राशि की वसूली प्राथमिकता पर करने के लिये कदम उठाने चाहिए।*

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

172 लेखा परीक्षित इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 8,291 प्रकरणों में ₹ 584.31 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 6,696 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजकीय राजस्व राशि ₹ 71.55 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 32.71 करोड़ राशि के 4,298 प्रकरण वर्ष 2020-21 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। 31 मार्च 2021 तक संबंधित विभागों ने 2,017 प्रकरणों में ₹ 13.50 करोड़ वसूल किये।

1.11 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में 19 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 249.40 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय-II से V में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 227.11 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की (दिसम्बर 2021)। स्वीकार की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से विभागों द्वारा दिसम्बर 2021 तक ₹ 18.18 करोड़ राशि की वसूली की गई जो कि वर्ष 2020-21 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली

(₹ 13.50 करोड़) के अतिरिक्त थी। इसके अलावा, सम्बंधित विभागों ने वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 41.26 करोड़ की वसूली की । इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 72.94 करोड़ थी।